

कार्यालय: निबंधक, व्यवहार न्यायालय, हजारीबाग

विज्ञापन संख्या-**02 / 2026**

दिनांक **22.05.2026**

निविदा आमंत्रण सूचना

व्यवहार न्यायालय हजारीबाग के पुराने न्यायिक अभिलेखों एवं नकल शाखा के प्रयुक्त प्रार्थना-पत्रों के विनष्टीकरण से प्राप्त कतरित अपशिष्ट कागजों की बिक्री हेतु इच्छुक व्यक्तियों/फर्मों/विक्रेताओं से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। यह प्रक्रिया Criminal Court नियमावली Civil Court Rules के नियम 134 एवं नियम 313 के आलोक में की जा रही है। विवरण निम्नलिखित है:

कार्य का नाम:	व्यवहार न्यायालय, हजारीबाग के कतरित अपशिष्ट कागजों की बिक्री
सामग्री का प्रकार:	पुराने न्यायिक अभिलेखों एवं अन्य प्रयुक्त प्रार्थना-पत्रों के विनष्टीकरण के उपरांत प्राप्त कतरित अपशिष्ट कागज।
निरीक्षण का स्थान:	अभिलेखागार, व्यवहार न्यायालय, हजारीबाग।
निरीक्षण की तिथि एवं समय:	दिनांक 23.05.2026 से प्रातः 07.00 बजे से 12.00 बजे तक कार्यालय अवधि में कार्य दिवसों पर।
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि:	दिनांक 03.06.2026 अपराह्न 12.00 बजे तक।
निविदा खोलने की तिथि:	दिनांक 04.06.2026 अपराह्न बजे

नियम और शर्तें:

1. इच्छुक व्यक्तियों/फर्मों/विक्रेताओं को निर्धारित प्रारूप में प्रति किलोग्राम दर का उल्लेख करते हुए अपना सीलबंद कोटेशन **03.06.2026 अपराह्न 12.00 बजे** तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।
2. कोटेशन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य हैं:-
 - पैन कार्ड की कॉपी
 - जी.एस.टी. पंजीकरण की प्रति (यदि लागू हो)
 - वैध आई. डी. प्रमाण की प्रति (आधार कार्ड/वोटर आईडी/ड्राविंग लाइसेंस)
 - Address Proof की प्रति
3. शपथ पत्र में घोषणा समर्पित करना कि कटी हुई सामग्री का उपयोग केवल पुनर्वर्तन प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।
4. सर्वाधिक बोली लगाने वाले की निविदा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन स्वीकार की जाएगी।
5. कतरित कागजों को उठाने एवं परिवहन की संपूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी।
6. कार्यालय बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
7. सूचना प्राप्त होने पर 7 दिनों के भीतर सामग्री हटाने की व्यवस्था करनी होगी।
8. सामग्री का वजन डिलीवरी के समय नाजीर, व्यवहार न्यायालय, हजारीबाग के उपस्थिति में निर्धारित किया जाएगा।
9. बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
10. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
11. इच्छुक बोलीदाता कार्यालय अवधि में कार्य दिवसों पर निबंधक, व्यवहार न्यायालय, हजारीबाग के कार्यालय से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
12. फॉर्म का प्रारूप तथा किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए व्यवहार न्यायालय, हजारीबाग के अधिकारिक वेबसाइट (<https://hazaribag.dcourts.gov.in/>) में जाए।

ह0 / -
निबंधक, व्यवहार न्यायालय,
हजारीबाग